

श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 54

श्रम और रोजगार मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	1269.39	2858.00	4127.39	2116.51	3198.71	5315.22	612.92	4183.74	4796.66	1538.00	4683.59	6221.59
पूँजी	7.34	3.06	10.40	36.51	9.64	46.15	28.78	9.64	38.42	12.00	9.01	21.01
जोड़	1276.73	2861.06	4137.79	2153.02	3208.35	5361.37	641.70	4193.38	4835.08	1550.00	4692.60	6242.60
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	47.89	47.89
2. श्रम सांख्यिकी	2230	44.45	11.05	55.50
	2552	4.30	...	4.30
	4250	1.25	0.03	1.28
	जोड़	50.00	11.08	61.08
3. औद्योगिक संबंध	2230	22.22	58.16	80.38
	2552	2.50	...	2.50
	4250	0.28	...	0.28
	जोड़	25.00	58.16	83.16
4. कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय	2230	7.85	21.63	29.48
	2552	0.95	...	0.95
	4250	2.50	...	2.50
	जोड़	11.30	21.63	32.93
5. खनन सुरक्षा महानिदेशालय	2230	14.60	54.15	68.75
	2552	2.20	...	2.20
	4250	5.70	0.05	5.75
	जोड़	22.50	54.20	76.70
6. श्रमिक कल्याण योजनाएं	2230	293.67	293.67
	4250	8.77	8.77
	जोड़	302.44	302.44
7. श्रमिक कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण												

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
7.01 बीड़ी कामगार कल्याण निधि												
7.01.01 को	2230	170.00	170.00
7.01.02 से	2230	-170.00	-170.00
7.01.03 से	4250
7.01.04 से	3601
कुल
7.02 अन्नक खान श्रमिक कल्याण निधि												
7.02.01 को	2230	3.14	3.14
7.02.02 से	2230	-3.13	-3.13
7.02.03 से	4250	-0.01	-0.01
कुल
7.03 लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि												
7.03.01 को	2230	18.50	18.50
7.03.02 से	2230	-18.45	-18.45
7.03.03 से	4250	-0.05	-0.05
कुल
7.04 चूनापत्थर और डोलोमाईट खनन कल्याण निधि												
7.04.01 को	2230	17.65	17.65
7.04.02 से	2230	-17.58	-17.58
7.04.03 से	4250	-0.07	-0.07
कुल
7.05 सिने श्रमिक कल्याण निधि												
7.05.01 को	2230	2.09	2.09
7.05.02 से	2230	-2.08	-2.08
7.05.03 से	4250	-0.01	-0.01
कुल
जोड़- श्रमिक कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण												
8. सामाजिक सुरक्षा योजना												
8.01 असंगठित क्षेत्रक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	2230	28.00	28.00
	2552	13.95	13.95
	3601	99.55	99.55
जोड़	141.50	141.50
8.02 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	2552	0.30	0.30

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3601	2.70	...	2.70
जोड़	3.00	...	3.00
8.03 कर्मचारी पेंशन योजना	2230	4025.00	4025.00
8.04 असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना	2230	43.09	43.09
जोड़- सामाजिक सुरक्षा योजना	144.50	4068.09	4212.59
9. राष्ट्रीय बाल श्रम योजना	2230	126.00	...	126.00
2552	14.00	...	14.00
जोड़	140.00	...	140.00
10. श्रम शिक्षा और अनुसंधान
10.01 केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड	2230	13.50	53.97	67.47
2552	1.50	...	1.50
जोड़	15.00	53.97	68.97
10.02 राष्ट्रीय श्रम संस्थान	2230	10.00	3.71	13.71
2552	1.00	...	1.00
जोड़	11.00	3.71	14.71
10.03 श्रम सहबद्ध विषयों में अनुसंधान	2230	5.50	...	5.50
जोड़- श्रम शिक्षा और अनुसंधान	31.50	57.68	89.18
11. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2230	17.61	17.61
12. अन्य मदें	2230	3.00	0.78	3.78
13. रोजगार
13.01 रोजगार संवर्धन योजना	2230	5.20	46.26	51.46
2552	2.00	...	2.00
4250	1.20	0.23	1.43
जोड़	8.40	46.49	54.89
13.02 राष्ट्रीय करियर सेवाएं	2230	78.50	...	78.50
2552	11.00	...	11.00
3601	9.00	...	9.00
3602	0.50	...	0.50
4250	1.00	...	1.00
जोड़	100.00	...	100.00
13.03 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	2230	900.00	...	900.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
2552	100.00	...	100.00
जोड़	1000.00	...	1000.00
जोड़- रोजगार	1108.40	46.49	1154.89
14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	12.43	6.48	18.91
2552	1.30	...	1.30
4225	0.07	0.07	0.14
जोड़	13.80	6.55	20.35
सं.अ. 2015-2016												
15. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	37.60	37.60	...	43.08	43.08	...	42.93	42.93
श्रम और रोजगार												
श्रम												
16. अनुसंधान एवं सांख्यिकी	2230	23.76	9.25	33.01	37.74	10.63	48.37	37.74	9.75	47.49
4250	0.09	0.02	0.11	1.25	0.03	1.28	1.25	0.03	1.28
जोड़	23.85	9.27	33.12	38.99	10.66	49.65	38.99	9.78	48.77
17. औद्योगिक संबंध	2230	15.86	47.28	63.14	17.38	51.49	68.87	17.38	50.82	68.20
18. कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा	2230	15.23	64.28	79.51	14.24	69.09	83.33	14.24	66.69	80.93
4250	0.15	...	0.15	4.26	0.05	4.31	10.26	0.05	10.31
जोड़	15.38	64.28	79.66	18.50	69.14	87.64	24.50	66.74	91.24
19. श्रमिक कल्याण योजनाएं	2230	...	216.95	216.95	...	281.22	281.22	...	277.16	277.16
3601	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4250	...	3.17	3.17	...	8.77	8.77	...	8.77	8.77
जोड़	...	220.12	220.12	...	290.00	290.00	...	285.94	285.94
20. श्रमिक कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण												
20.01 बीडी कामगार कल्याण निधि												
20.01.01 को	2230	...	155.93	155.93	...	170.00	170.00	...	170.00	170.00
20.01.02 से	2230	...	-151.86	-151.86	...	-170.00	-170.00	...	-170.00	-170.00
3601
4250	...	-0.60	-0.60
जोड़	...	-152.46	-152.46	...	-170.00	-170.00	...	-170.00	-170.00
कुल	...	3.47	3.47
20.02 अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि												
20.02.01 को	2230	...	2.54	2.54	...	2.73	2.73	...	2.73	2.73
20.02.02 से	2230	...	-2.42	-2.42	...	-2.72	-2.72	...	-2.72	-2.72

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
4250	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
जोड़	...	-2.42	-2.42	...	-2.73	-2.73	...	-2.73	-2.73
कुल	...	0.12	0.12
20.03 लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि												
20.03.01 को	2230	15.14	15.14	...	16.70	16.70	...	16.70	16.70
20.03.02 से	2230	-13.75	-13.75	...	-16.65	-16.65	...	-16.65	-16.65
4250	...	-0.04	-0.04	...	-0.05	-0.05	...	-0.05	-0.05
जोड़	...	-13.79	-13.79	...	-16.70	-16.70	...	-16.70	-16.70
कुल	...	1.35	1.35
20.04 चूनापत्थर और डोलोमाईट कल्याण निधि												
20.04.01 को	2230	14.46	14.46	...	15.98	15.98	...	15.98	15.98
20.04.02 से	2230	-12.72	-12.72	...	-15.90	-15.90	...	-15.90	-15.90
4250	...	-0.06	-0.06	...	-0.08	-0.08	...	-0.08	-0.08
जोड़	...	-12.78	-12.78	...	-15.98	-15.98	...	-15.98	-15.98
कुल	...	1.68	1.68
20.05 सिने श्रमिक कल्याण निधि												
20.05.01 को	2230	1.73	1.73	...	1.93	1.93	...	1.93	1.93
20.05.02 से	2230	-1.40	-1.40	...	-1.92	-1.92	...	-1.92	-1.92
4250	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
जोड़	...	-1.41	-1.41	...	-1.93	-1.93	...	-1.93	-1.93
कुल	...	0.32	0.32
जोड़- श्रमिक कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण	...	6.94	6.94
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा												
21. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	2230	2299.80	2299.80	...	2540.00	2540.00	...	3540.00	3540.00
22. असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना	2230	11.19	11.19	...	17.90	17.90	...	17.90	17.90
23. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)												
23.01 असंगठित क्षेत्रक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा /राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	2230	5.28	5.28	30.00	...	30.00	9.84	...	9.84
	3601	545.37	545.37
जोड़	550.65	...	550.65	30.00	...	30.00	9.84	...	9.84
23.02 घटाएं - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा	2230

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
निधि से पूरी की गई धनराशि												
कुल	550.65	...	550.65	30.00	...	30.00	9.84	...	9.84
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा श्रमिक शिक्षा	550.65	2310.99	2861.64	30.00	2557.90	2587.90	9.84	3557.90	3567.74
24. केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड	2230	11.65	46.03	57.68	19.19	53.97	73.16	13.99	53.97	67.96
25. राष्ट्रीय श्रम संगठन	2230	6.25	3.15	9.40	5.62	3.71	9.33	5.62	3.71	9.33
जोड़-श्रमिक शिक्षा	17.90	49.18	67.08	24.81	57.68	82.49	19.61	57.68	77.29
26. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	3601
27. बाल/महिला श्रमिक की कार्य दशा में सुधार	2230	102.34	...	102.34	219.73	...	219.73	89.50	...	89.50
28. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2230	...	16.43	16.43	...	17.61	17.61	...	17.69	17.69
29. अन्य मदें	2230	2.29	0.33	2.62	2.74	0.78	3.52	3.24	0.70	3.94
जोड़-श्रम	728.27	2724.82	3453.09	352.15	3055.26	3407.41	203.06	4047.25	4250.31
रोजगार और प्रशिक्षण												
30. रोजगार												
30.01 रोजगार	2230	4.15	39.29	43.44	4.30	43.76	48.06	4.30	40.82	45.12
	4250	0.06	0.14	0.20	0.20	0.23	0.43	0.20	0.23	0.43
जोड़	4.21	39.43	43.64	4.50	43.99	48.49	4.50	41.05	45.55
30.02 राष्ट्रीय कैरियर सेवा	2230	10.00	...	10.00	53.00	...	53.00
जोड़- रोजगार	4.21	39.43	43.64	14.50	43.99	58.49	57.50	41.05	98.55
प्रशिक्षण												
31. प्रशिक्षण												
31.01 सामान्य संघटक	2230	116.01	53.46	169.47	263.87	59.31	323.18	118.10	55.75	173.85
	3601	295.88	...	295.88
	3602	15.48	...	15.48
	4250	6.98	0.40	7.38	30.73	0.64	31.37	17.00	0.64	17.64
जोड़	434.35	53.86	488.21	294.60	59.95	354.55	135.10	56.39	191.49
31.02 ईएपी संघटक/कौशल विकास	2230	54.57	...	54.57	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	3601	43.09	...	43.09
	3602	0.27	...	0.27
जोड़	97.93	...	97.93	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
31.03 सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को ऋण												
31.03.01 सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा 1396 सरकारी	6250

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
आईटीआई के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को ऋण												
31.03.02 घटाइए : सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	6250
<i>कुल</i>
<i>जोड़- प्रशिक्षण</i>	532.28	53.86	586.14	304.60	59.95	364.55	145.10	56.39	201.49
जोड़-रोजगार और प्रशिक्षण	536.49	93.29	629.78	319.10	103.94	423.04	202.60	97.44	300.04
जोड़-श्रम और रोजगार	1264.76	2818.11	4082.87	671.25	3159.20	3830.45	405.66	4144.69	4550.35
32. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	11.91	5.31	17.22	10.93	6.00	16.93	10.93	5.69	16.62
	4225	0.06	0.04	0.10	0.07	0.07	0.14	0.07	0.07	0.14
<i>जोड़</i>	11.97	5.35	17.32	11.00	6.07	17.07	11.00	5.76	16.76
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्था												
33.01 सामान्य संघटक	2552	76.25	...	76.25	49.48	...	49.48
33.02 ईएपी संघटक/कौशल विकास	2552
33.03 घटाएं - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से धनराशि	2552
<i>कुल</i>	76.25	...	76.25	49.48	...	49.48
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना												
34. असंगठित कामगार हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	2552	129.05	...	129.05
	3601	1161.47	...	1161.47	55.00	...	55.00
<i>जोड़</i>	1290.52	...	1290.52	55.00	...	55.00
35. कौशल विकास मिशन												
35.01 कार्यक्रम संघटक - राज्य आयोजना	3601	80.00	...	80.00	91.87	...	91.87
35.02 कार्यक्रम संघटक -संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	3602	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
35.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552	10.00	...	10.00	14.69	...	14.69
35.04 ईएपी संघटक	3601	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	3602
<i>जोड़</i>	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
<i>जोड़- कौशल विकास मिशन</i>	104.00	...	104.00	120.56	...	120.56
जोड़-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	1394.52	...	1394.52	175.56	...	175.56
कुल जोड़	1276.73	2861.06	4137.79	2153.02	3208.35	5361.37	641.70	4193.38	4835.08	1550.00	4692.60	6242.60

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय*														
केन्द्रीय योजना:														
1.	श्रम एवं रोजगार	22230	1264.76	...	1264.76	671.25	...	671.25	405.66	...	405.66	1271.25	...	1271.25
2.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	22225	11.97	...	11.97	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	12.50	...	12.50
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	76.25	...	76.25	49.48	...	49.48	155.00	...	155.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना			1276.73	...	1276.73	758.50	...	758.50	466.14	...	466.14	1438.75	...	1438.75
राज्य योजना:														
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	9.00	...	9.00
2.	असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	43601	1290.52	...	1290.52	55.00	...	55.00	102.25	...	102.25
3.	कौशल विकास मिशन	43601	100.00	...	100.00	116.56	...	116.56
जोड़ - राज्य योजना			1390.52	...	1390.52	171.56	...	171.56	111.25	...	111.25
संघ राज्य क्षेत्र योजना :														
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)														
1.	कौशल विकास मिशन	43602	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना			4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़			1276.73	...	1276.73	2153.02	...	2153.02	641.70	...	641.70	1550.00	...	1550.00
<i>*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन</i>														
	मांग संख्या 104	22230
	मांग संख्या 105	22230
जोड़		

- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:-** इसके अंतर्गत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।
- श्रम सांख्यिकी:-** इसके अंतर्गत श्रम के विभिन्न विषयों के बारे में आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका प्रकाशन, जांच पड़ताल करने, सर्वेक्षण और अनुसंधान विषयक अध्ययन करने की व्यवस्था की गयी है। इसमें पूर्वोत्तर, एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।
- औद्योगिक संबंध:-** इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सदभावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुधारने तथा श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और प्रथाओं आदि के कार्यान्वयन का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिए तथा काम की अन्य स्थितियों व मजदूरी को नियमित करने के लिए अनुशासन संहिता निर्धारित करने, समझौतों और पंचाटों, श्रम कानूनों का शीघ्र कार्यान्वयन करने से संबंधित खर्च की व्यवस्था शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

- महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा श्रम संस्थान (डीजीफासली) :-** इसके अंतर्गत महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान गोदी कामगारों एवं कारखाना की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों, एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।
- खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) :-** इसके अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय कोयला तथा गैर-कोयला खानों एवं तेल क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-शर्तों के लिए उत्तरदायी है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों, एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।
- श्रमिक कल्याण योजनाएं:-** इसके अंतर्गत बीड़ी कामगारों, अन्नक खानों, लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (कोयला खानों के कामगारों को छोड़कर) चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम कर रहे श्रमिकों और सिने कामगारों हेतु

कल्याण योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है। इस खर्च को संबंधित श्रम कल्याण अधिनियमों के अंतर्गत लगाए गए और वसूल किए गए उपकर से पूरा किया जाता है, जिसे सरकारी खाते की आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

7. **श्रम कल्याण निधियों में/ से निवल अंतरण-** यह विभिन्न श्रम कल्याण निधियों में उपकरों की अंतरित राशि और इन निधियों से श्रम कल्याण योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि के अंतर को दर्शाता है।

8. **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** (i) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड:- असंगठित क्षेत्र के कामगारों को एक सामाजिक सुरक्षा कार्ड प्रदान किया जाएगा जिससे उनके लिए एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार होगा जिससे उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसमें पूर्वोत्तर एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

(ii) बंधुआ श्रमिक का पुनर्वास:- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम है जो राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों को बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु चलाए जाने वाले उनके कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए तैयार की गई है। इसमें पूर्वोत्तर एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

(iii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995- इस नई योजना के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के परिवारों हेतु पेंशन और जीवन बीमा के लाभों के लिए प्रावधान है। इसमें इस प्रावधान में नई योजना के लिए सरकार के अंशदान की व्यवस्था है।

(iv) असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा-सहबद्ध-बीमा योजना- बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन तथा जीवन-बीमा योजना और चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना असम राज्य सरकार के माध्यम से असम के उन बागान कामगारों के लिए प्रशासित की जाती है जो असम चाय बागान भविष्य निधि द्वारा शासित किए जाते हैं और इन पर परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा अधिनियम असम सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रावधान में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था है।

9. **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना:-** राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना – इसके अंतर्गत बाल/महिला श्रमिक के कल्याण से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनिर्माण, समन्वयन तथा क्रियान्वयन का प्रावधान है। इसमें पूर्वोत्तर एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

10. **श्रमिक शिक्षा एवं अनुसंधान :-** भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में एक त्रिपक्षीय समिति के रूप में स्थापित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रमिक शिक्षण का कार्य करता है। वर्ष 1957 में आयोजित पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए श्रमिकों की शिक्षा संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें वर्ष 1972 में स्थापित वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान शामिल है जो समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है तथा अनुसंधान गतिविधियों, शिक्षा और प्रशिक्षण, परामर्श, प्रकाशन आदि का कार्य करता है। इसमें पूर्वोत्तर एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

11. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :-** अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ को वार्षिक अंशदान की अदायगी करना और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय तथा रोजगार संवर्धन संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल को आवास तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए धनराशि जुटाना शामिल है।

12. **अन्य मदें :-** (i) इसमें मंत्रालय में कार्यकुशलता में और सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था शामिल है।

(ii) प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना और युद्ध में घायल कामगारों तथा नागरिकों को पेंशन/मुआवजे की अदायगी करना।

13. **रोजगार:** (i) रोजगार संवर्धन योजना:- रोजगार योजनाओं में मुख्य रूप से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श, कोचिंग सह परामर्श केंद्रों के माध्यम से कुछ चुनिंदा श्रेणियों को रोजगार संबंधी सहायता, अपंगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा साथ ही रोजगार सेवाओं में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। इसमें पूर्वोत्तर एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

(ii) राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं:- राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं परियोजना एक अभियान सद्श परियोजना है जिसमें एक डिजिटल पोर्टल की संकल्पना है जो बेरोजगारों एवं नियोक्ताओं के लिए राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रदान करता है ताकि त्वरित, प्रभावी एवं आवश्यकतानुसार अपेक्षित रोजगार प्रदान किया जा सके। इसमें 3000 व्यवसायों से अधिक कैरियर संबंधी सुझावों/तत्वों का संग्रह मौजूद है। यह पोर्टल रोजगार में का आयोजन करने की सुविधा प्रदान करता है जहां नियोक्ता एवं रोजगार के इच्छुक आपस में संवाद कर सकते हैं। इसमें राज्यों द्वारा आदर्श कैरियर केन्द्र (मॉडल कैरियर सेंटर) स्थापित करने की भी संकल्पना है जिससे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली रोजगार सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसमें पूर्वोत्तर एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

(iii) प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना:- रोजगार के प्रोन्नयन के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 में 1000 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ 'प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' नामक एक नई योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है। इस योजना का कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत उन नियोक्ताओं को अतिरिक्त नए कामगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिन कामगारों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 240 दिवसों तक काम किया हो। इस योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। इसमें पूर्वोत्तर एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

14. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन :-** इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इन वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र शामिल है। ये शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और अभिकरणों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने की एक दूसरी योजना भी कुछ शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में आरम्भ की गई है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इसमें पूर्वोत्तर एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।